**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**
**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या: 155**

**मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**उत्तर प्रदेश में ओडीओपी समूह**

***155 एडवोकेट प्रिया सरोजः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ओडीओपी जिले चिह्नित किए गए हैं जिनके उत्पाद केन्द्रीय प्रोत्साहन सहायता के बावजूद औपचारिक निर्यात चैनल में नहीं आ पाए हैं जैसा कि डीजीएफटी, एपीडा या मंत्रालय के समीक्षा आंकड़ों में दर्शाया गया है;

(ख) ओडीओपी समूहों द्वारा कारीगर श्रेणी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी और सहायक कर्मचारी श्रेणी की भूमिका के अनुसार जिला-वार कितना-कितना रोजगार सृजित किया गया है;

(ग) ऐसे जिलों में गुणवत्ता अनुपालन, प्रमाणन, उत्पादन की मात्रा संबंधी सीमा या संभार तंत्र संबंधी अवरोधों सहित किन-किन विशिष्ट बाधाओं की पहचान की गई है;

(घ) क्या प्रोत्साहन संबंधी उपायों से पहले समूह-विशिष्ट की निर्यात की तैयारी का आकलन किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में आओडीओपी पहचान को वास्तविक निर्यात प्राप्ति और बाजार पहुंच में परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्री**
**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ङ):** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**'उत्तर प्रदेश में ओडीओपी समूह' के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क):** एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार करना है।

अब तक, ओडीओपी फ्रेमवर्क के तहत देश के सभी 773 जिलों में 1,200 से अधिक उत्पादों की पहचान की गई है। ओडीओपी उत्पादों का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों **(अनुबंध-I)** के 110 उत्पादों (75 प्राथमिक, 28 द्वितीयक, 7 तृतीयक श्रेणी के उत्पाद) की पहचान की है और राज्य के भीतर ओडीओपी हितधारकों के प्रोत्साहन और सशक्तिकरण के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य ने ओडीओपी उत्पादों को मोटे तौर पर 14 श्रेणियों - कालीन और दरियां, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य उत्पाद, कांच के बने पदार्थ, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, धातु शिल्प और धातु के बर्तन, विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र, खेलों के सामान, बर्तन और लकड़ी के उत्पाद में विभाजित किया है - और इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए पहलें शुरू की गई है।

इन सभी श्रेणियों के तहत, राज्य से ओडीओपी का निर्यात किया जा रहा है। तथापि, कुछ जिलों जैसे औरैया (डेयरी उत्पाद), अयोध्या (गुड़), एटा (चिकोरी), बलिया (सत्तू और बिंदी), अमेठी (मूंज उत्पाद), बहराइच (गेहूं के डंठल संबंधी शिल्प), बांदा (शजर पत्थर शिल्प), देवरिया (सजावटी उत्पाद), जालौन (हस्तनिर्मित कागज), झांसी (सॉफ्ट टॉय), लखीमपुर (आदिवासी शिल्प और गुड़), महोबा (गौरास्टोन शिल्प), मैनपुरी (तरकाशी, आदि) से ऐसे ओडीओपी की पहचान पारंपरिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहे उत्पादों के रूप में की गई है, जिनका निर्यात कम है।

इन चिह्नित उत्पादों को निर्यात की मुख्यधारा में लाने के लिए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, इन उत्पादों के

निर्यात संवर्धन हेतु निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए डीआईसी के माध्यम से कौशल विकास कार्यशालाओं के आयोजन आदि जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इसके अलावा, समर्पित हैण्डहोल्डिंग सहायता के माध्यम से विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर राज्य की एमएसएमई/ओडीओपी इकाइयों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**(ख):** उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, ओडीओपी हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए "एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)" के तहत चार स्कीमें अर्थात ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम, कौशल विकास और टूलकिट वितरण योजना, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्कीम और बाजार विकास सहायता स्कीम तैयार की गई हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत सृजित रोजगार सहित ब्यौरा और की गई प्रगति **अनुबंध-II** में दी गई है।

**(ग):** उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न परामर्श एजेंसियों के सहयोग से सभी जिलों के लिए डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्टें तैयार की गई थीं। इन स्टडी रिपोर्टों में ऋण तक सीमित पहुंच, गुणवत्ता और मानकीकरण संबंधी मुद्दों, कौशल अंतराल, अपर्याप्त पैकेजिंग और बहुत कम बाजार लिंकेज जैसे प्रमुख अंतरालों की पहचान की गई है। इन निष्कर्षों के आधार पर, लक्षित ओडीओपी स्कीमों को तैयार किया गया ताकि पहचान की गई कमियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा, यूपी ओडीओपी ने गुणवत्ता मजबूत करने, पैकेजिंग, अनुपालन और बाजार पहुंच के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) और फ्लिपकार्ट जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों के साथ भागीदारी की है। लॉजिस्टिक्स कमी का समाधान सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्कीम के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, एकत्रीकरण और परिवहन सहायता जैसे साझा अवसंरचना के लिए प्रावधान शामिल है।

**(घ):** उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला उद्योग संवर्धन और उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं और राज्य के सभी 75 जिलों में निर्यात सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है, जिसमें उपायुक्त (उद्योग) सदस्य सचिव के रूप में और संबंधित प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये समितियां स्थानीय निर्यात और ओडीओपी क्लस्टर-विशिष्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समन्वित विचार-विमर्श के लिए संस्थागत मंच के रूप में कार्य करती हैं। संबंधित

डीईपीसी द्वारा सभी जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजना भी तैयार और अनुमोदित की गई है।

इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में निर्यात में लगातार वृद्धि देखी है, जो 2020-21 में 1.21 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

**(ङ):** उत्तर प्रदेश के उत्पादों सहित सभी ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने और निर्यात के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ एगेंजमेंट, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी शुरू की गई है। साथ ही, इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में जी-20 बैठकों के दौरान उपहार देने के भाग के रूप में विभिन्न ओडीओपी उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, एपीडा ने एपीडा बास्केट के तहत आने वाली कृषि-वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, उच्च क्षमता वाली उपज का कार्य करने वाले एफपीओ को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ एफपीओ के सम्पर्क की सुविधा प्रदान करना, एफपीओ प्रतिनिधिमंडलों के अनुभव प्राप्त करने हेतु दौरों की सुविधा प्रदान करना, प्रमुख कृषि-उपज को बढ़ावा देना और उन्हें प्रदर्शित करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार से वस्तुओं का लिंकेंज शामिल है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य ने एमएसएमई को मजबूत करने, स्थानीय औद्योगिक और निर्यात इकोसिस्टम को विकसित करने, निर्यात वृद्धि में तेजी लाने और ओडीओपी इकाइयों को सहायता प्रदान करने सहित सभी जिलों में निर्यात-उन्मुखी वातावरण सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश नई निर्यात संवर्धन नीति 2025-30 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के निर्यातकों, कारीगरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और नए वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार वर्ष 2023 से हर वर्ष उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कर रही है।

*****

**दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**अनुबंध-I**

## उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों की सूची

| जिला | उत्पाद | श्रेणी | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| आगरा | चमड़ा उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| आगरा | हस्तशिल्प- पत्थर और संगमरमर | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| अलीगढ़ | ताला और हार्डवेयर | प्राथमिक | विनिर्माण |
| अलीगढ़ | धातु हस्तशिल्प | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| अंबेडकर नगर | वस्त्र उत्पाद | प्राथमिक | वस्त्र |
| अमेठी | मूंज उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| अमेठी | खाद्य प्रसंस्करण | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| अमरोहा | संगीत वाद्ययंत्र (ढोलक) | प्राथमिक | विनिर्माण |
| अमरोहा | रेडीमेड गारमेंट्स | द्वितीयक | वस्त्र |
| औरैया | दुग्ध प्रसंस्करण (देसी घी) और दुग्ध उत्पाद | प्राथमिक | डेयरी |
| अयोध्या (फैजाबाद) | गुड़ उत्पाद | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| आजमगढ़ | ब्लैक पॉटरी आर्टिफैक्ट्स | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| आजमगढ़ | वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) | द्वितीयक | हथकरघा |
| बागपत | गृह सज्जा संबंधी वस्तुएं | प्राथमिक | विनिर्माण |
| बहराइच | गेंहूं के डंटल संबंधी हस्तशिल्प | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बहराइच | खाद्य प्रसंस्करण | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| बलिया | बिंदी (टिकुली) | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बलरामपुर | खाद्य प्रसंस्करण (दालें) | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| बांदा | शजर पत्थर शिल्प | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बाराबंकी | हथकरघा उत्पाद और वस्त्र उत्पाद | प्राथमिक | वस्त्र |
| बरेली | जरी और जरदोजी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बरेली | बांस उत्पाद | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| बरेली | गोल्डस्मिथ इंडस्ट्री | तृतीयक | हस्तशिल्प |
| बस्ती | लकड़ी के शिल्प | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बस्ती | विनेगर उत्पाद | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| भदोही (संत रविदास नगर) | कारपेट (दरी) | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बिजनौर | लकड़ी के शिल्प | प्राथमिक | विनिर्माण |
| बदायूं | जरी और जरदोजी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| बुलंदशहर | सिरेमिक उत्पाद | प्राथमिक | विनिर्माण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| चंदौली | जरी और जरदोजी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| चंदौली | ब्लैक राइस | द्वितीयक | कृषि |
| चित्रकूट | लकड़ी के खिलौने एवं लकड़ी कला उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| देवरिया | सजावटी उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| देवरिया | कढ़ाई और बुनाई (निटिंग) उत्पाद | द्वितीयक | हथकरघा |
| देवरिया | रेडीमेड गारमेंट्स | तृतीयक | वस्त्र |
| एटा | घुंघरू, घंटियां और पीतल के उत्पाद | प्राथमिक | विनिर्माण |
| इटावा | वस्त्र उत्पाद, टेलरिंग और कपड़ा कढ़ाई | प्राथमिक | वस्त्र |
| फर्रुखाबाद | वस्त्र प्रिंटिंग | प्राथमिक | वस्त्र |
| फर्रुखाबाद | जरी जरदोजी | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| फतेहपुर | बेडशीट्स | प्राथमिक | वस्त्र |
| फतेहपुर | आयरन फैब्रिकेशन वर्क | द्वितीयक | विनिर्माण |
| फिरोजाबाद | ग्लासवेयर | प्राथमिक | विनिर्माण |
| गौतम बुद्ध नगर | रेडीमेड गारमेंट्स और वस्त्र उत्पाद | प्राथमिक | वस्त्र |
| गाजियाबाद | इंजीनियरिंग गुड्स | प्राथमिक | विनिर्माण |
| गाजीपुर | जूट वॉल हैंगिंग्स | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| गोंडा | खाद्य प्रसंस्करण | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| गोरखपुर | टेराकोटा | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| गोरखपुर | रेडीमेड गारमेंट्स | द्वितीयक | वस्त्र |
| हमीरपुर | जूते | प्राथमिक | विनिर्माण |
| हापुड़ | घर की सजावट का सामान | प्राथमिक | विनिर्माण |
| हरदोई | हथकरघा उत्पाद और वस्त्र उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| हाथरस | हींग (ऐसफीटिड) प्रसंस्करण | प्राथमिक | कृषि |
| हाथरस | रेडीमेड गारमेंट्स | द्वितीयक | वस्त्र |
| जालौन | हैंडमेड पेपर आर्ट | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| जालौन | मटर प्रसंस्करण | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| जौनपुर | ऊनी कालीन (दरी) | प्राथमिक | वस्त्र |
| झांसी | सॉफ्ट टॉयज | प्राथमिक | विनिर्माण |
| झांसी | वस्त्र उत्पाद | द्वितीयक | विनिर्माण |
| कन्नौज | परफ्यूम (अत्तर), अगरबत्ती और उत्पाद | प्राथमिक | विनिर्माण |
| कानपुर देहात | जस्ते के बर्तन | प्राथमिक | विनिर्माण |
| कानपुर देहात | प्लास्टिक उत्पाद | द्वितीयक | विनिर्माण |
| कानपुर नगर | चमड़ा उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| कानपुर नगर | होजरी और वस्त्र उत्पाद | द्वितीयक | वस्त्र |
| कासगंज | जरी जरदोजी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| कौशाम्बी | खाद्य प्रसंस्करण (केला और अमरूद) | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| कुशीनगर | केले के फाइबर उत्पाद और केले के | प्राथमिक | कृषि |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | उत्पाद | | |
| लखीमपुर खीरी | आदिवासी शिल्प | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| लखीमपुर खीरी | गुड़ के उत्पाद | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| ललितपुर | जरी शिल्क सारी | प्राथमिक | हथकरघा |
| ललितपुर | खाद्य प्रसंस्करण | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| ललितपुर | स्कूल ड्रेस (रेडीमेड गारमेंट्स/होजरी) | तृतीयक | वस्त्र |
| लखनऊ | चिकनकारी और ज़री ज़रदोज़ी | प्राथमिक | वस्त्र |
| महाराजगंज | फर्नीचर | प्राथमिक | विनिर्माण |
| महोबा | गौरापत्थर शिल्प और धातु शिल्प | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| मैनपुरी | तरकशी आर्ट | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| मैनपुरी | वस्त्र सिलाई | द्वितीयक | विनिर्माण |
| मैनपुरी | ज़री ज़रदोज़ी | तृतीयक | हस्तशिल्प |
| मथुरा | सैनिटरी फिटिंग | प्राथमिक | विनिर्माण |
| मथुरा | ठाकुरजी की पोशाक | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| मथुरा | श्रीनगर स्कल्पचर और कंठी माला | तृतीयक | हस्तशिल्प |
| मऊ | पावरलूम वस्त्र | प्राथमिक | वस्त्र |
| मेरठ | स्पोर्ट्स गुड्स | प्राथमिक | विनिर्माण |
| मिर्जापुर | कालीन | प्राथमिक | वस्त्र |
| मिर्जापुर | धातु उद्योग (पीतल) | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| मुरादाबाद | धातु शिल्प | प्राथमिक | विनिर्माण |
| मुजफ्फरनगर | गुड़ के उत्पाद | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| पीलीभीत | बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद | प्राथमिक | विनिर्माण |
| प्रतापगढ़ | खाद्य प्रसंस्करण (आंवला उत्पाद) | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| प्रयागराज | मूंज उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| प्रयागराज | खाद्य प्रसंस्करण | द्वितीयक | खाद्य प्रसंस्करण |
| रायबरेली | लकड़ी का काम | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| रामपुर | पैच वर्क, ज़री पैच वर्क और मेंथा के साथ एप्लिक वर्क | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| सहारनपुर | लकड़ी की नक्काशी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| संभल | हस्तशिल्प (सींग-हड्डी के उत्पाद) | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| संत कबीर नगर | पीतल के बर्तन | प्राथमिक | विनिर्माण |
| संत कबीर नगर | होजरी उत्पाद | द्वितीयक | विनिर्माण |
| शाहजहांपुर | ज़री और ज़रदोज़ी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| शामली | रिम और एक्सल और लोहे का काम | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| श्रावस्ती | आदिवासी शिल्प और फर्नीचर | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| सिद्धार्थनगर | काला नमक चावल | प्राथमिक | खाद्य प्रसंस्करण |
| सीतापुर | कालीन (दरी) | प्राथमिक | वस्त्र |
| सोनभद्र | कालीन | प्राथमिक | वस्त्र |
| सुल्तानपुर | मूंज उत्पाद | प्राथमिक | हस्तशिल्प |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सुल्तानपुर | आयरन और स्टील फेब्रिकेशन | द्वितीयक | विनिर्माण |
| उन्नाव | ज़री ज़रदोज़ी | प्राथमिक | हस्तशिल्प |
| उन्नाव | चमड़े के उत्पाद | द्वितीयक | विनिर्माण |
| वाराणसी | रेशम उत्पाद | प्राथमिक | वस्त्र |
| वाराणसी | गुलाबी मीनाकारी | द्वितीयक | हस्तशिल्प |
| वाराणसी | वूडन लेकर वेयर | तृतीयक | हस्तशिल्प |
| वाराणसी | खिलौने | अन्य | हस्तशिल्प |

*****

**दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**अनुबंध-II**

इन स्कीमों के तहत सृजित रोजगार सहित विवरण और प्रगति निम्नानुसार है:

I. **<u>ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम</u>:**

इस स्कीम के तहत, विनिर्माण या व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण की **25%** की सब्सिडी दी जाती है जो **20** लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन है।

**प्रगति -**

- अब तक, **897.05** करोड़ रुपए की सब्सिडी वाली **6,931.10** करोड़ रुपए की **20,260** परियोजनाओं को ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से **3,16,976** रोजगार सृजित हुए हैं।

II. **<u>कौशल विकास और टूलकिट संवितरण स्कीम</u>:**

इस स्कीम का उद्देश्य 10 दिनों के निःशुल्क ब्रिज कोर्सों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कारीगरों को आधुनिक टूलकिट मुफ्त प्रदान किए जाते हैं।

**प्रगति -**

- अब तक इस स्कीम के माध्यम से कुल **1,33,472 ओडीओपी** कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और इस स्कीम के माध्यम से **1,31,372** कारीगरों को ओडीओपी टूलकिट प्रदान की जा चुकी है।

III. **सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्कीम:**

इस स्कीम का उद्देश्य उन क्लस्टरों के लिए सामान्य सुविधाओं जैसे सामान्य प्रसंस्करण / उत्पादन केंद्र, कच्चा माल बैंक, परीक्षण सुविधा, लॉजिस्टिक्स केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र आदि का विकास करना है, जिन्हें कारीगर अपने स्वयं के स्तर पर निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं। सीएफसी का उद्देश्य ओडीओपी कारीगरों / इकाइयों के डिजाइन मुद्दों, कच्चे माल के मुद्दों, पैकेजिंग मुद्दों आदि सहित सामान्य मुद्दों का समाधान करना है। इस स्कीम के तहत, राज्य सरकार अनुदान के रूप में परियोजना लागत की 60%-90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सीएफसी स्कीम की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

**प्रगति -**

- अब तक, **15 सीएफसी** (कुल परियोजना लागत **112.29 करोड़ रुपए**) पूरे किए जा चुके हैं। इन सीएफसी में लगभग 259 रोजगार सृजित किए गए हैं और लगभग 3620 उपयोगकर्ता इन सीएफसी की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।
- **15 और सीएफसी प्रस्तावों** (कुल परियोजना लागत **105.82 करोड़ रुपए**) को जीओयूपी द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है, और ये परियोजनाएं **कार्यान्वयन के चरण** में हैं।

IV. **बाजार विकास सहायता स्कीम:**

इस स्कीम का उद्देश्य बाजार तक पहुंच प्रदान करना है और इस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ब्रांड बनाना है। इस स्कीम के तहत ओडीओपी कारीगरों / इकाइयों की भागीदारी को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों / प्रदर्शनियों में आवास, यात्रा और स्टॉल शुल्क की प्रतिपूर्ति करके बढ़ावा दिया जाता है। इस विभाग ने **450** से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों (फेयर्स) को सूचीबद्ध किया है, जिसमें ओडीओपी कारीगर / इकाइयां इस स्कीम के तहत सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यह स्कीम ओडीओपी कारीगरों / इकाइयों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग के लिए और प्रमुख शहरी केंद्रों में शोरूम के रूप में स्थान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

**प्रगति -**

- इस स्कीम के तहत अब तक विभिन्न मेलों में **8435** कारीगरों ने भाग लिया है और कुल **80.48** करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है।
- ओडीओपी उत्पादों के विपणन के लिए ओडीओपी मार्ट, अमेज़ॉन.इन, फ्लिपकार्ट और वाईयूयूकेकेई जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़े गए हैं।

*****